अब्दुल रहीम

बनाम

कर्नाटक विद्युत बोर्ड और अन्य

नवंबर 20,2007

[एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जेजे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 100:

विधि का सारवान् प्रश्न- उपस्थापना- अनुबंध का विशिष्ट पालना- अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच- भूमि की बिक्री के लिए समझौता किया गया- अन्य पक्ष द्वारा अनुबंध के हिस्से की गैर पालना के आधार पर विशिष्ट पालना के लिए मुकदमा किया गया- विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया- प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज- उच्च न्यायालय द्वारा अपील यह कहते हुए खारिज की गई कि अपीलीय न्यायालय समझौते की शर्तों की व्याख्या करने में विफल रहा, निर्णित: सुसंगत तथ्य पर विचार न करना और असुसंगत तथ्यों पर विचार करना विधि का सारवान् प्रश्न को उत्पन्न करेगा- महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की अनदेखी करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये तथ्य के निष्कर्ष को उलटने से भी विधि का सारवान् प्रश्न उत्पन्न हो सकता है- उच्च न्यायालय विधि के सारवान् प्रश्नों को तैयार करने में विफल रहा- इसलिए, प्रश्न के तैयार करने हेतु मामले को नये सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया- विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963- संविदा के भाग का पालन करने में असफल।

अपीलकर्ता और विचाराधीन भूमि की बिक्री के लिए एक समझौता किसके द्वारा किया गया था। चूँकि अपीलकर्ता ने अनुबंध के अपने हिस्से का पालन नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुबंध की विशिष्ट पालना के लिए मुकदमा दायर किया

गया। इसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा इसके विरुद्ध की गई अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई द्वितीय अपील को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अनुमति दे दी कि प्रथम अपीलीय न्यायालय समझौते की धाराओं की उचित परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने में विफल रहा; और इसमें विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 22 में निहित प्रावधानों को लागू किया, जिसमें यांत्रिक तरीके अग्रिम राशि को लौटाने का निर्देश दिया गया। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता ने तर्क दिये कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किये गये कथित विधि के सारवान् प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं; और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यात्मक निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 100 के अधीन इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

अपील को स्वीकारते हुए न्यायालय द्वारा, निर्णय दिया: विधि का सारवान् प्रश्न आमतौर पर विचारणीय न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये तथ्यों के निष्कर्ष से उत्पन्न होता है। संहिता की धारा 100 के संदर्भ में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निस्संदेह सीमित है। [पैरा 10] [394-सी]

1.2. यह प्रश्न कि आया वादी संविदा के अपने हिस्से की पालना करने के लिए तैयार और इच्छुक था, विधि के सारवान् प्रश्न को उत्पन्न नहीं कर सकता। [पैरा 11] [394-डी]

1.3. हालाँकि, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता असुसंगत तथ्य पर विचार करना और सुसंगत तथ्य पर विचार न करना विधि के सारवान् प्रश्न को जन्म देगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा

निकाले गये तथ्यों के निष्कर्ष को उलटने से भी विधि का सारवान् प्रश्न खडा हो सकता है। [पैरा 12] [394-ई]

विद्याधर बनाम माणिकराव एवं अन्य, [1999] 3 एससीसी 573, पर आधारित।

2. सामान्यतः संहिता की धारा 100 के अर्थ में विधिक प्रश्नों को सृजनात्मक रूप से तय करने में उच्च न्यायालय की असफलता के कारण, यह अपील स्वीकृत की जानी चाहिए थी। हालाँकि, चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने पहले ही प्रतिफल राशि के एक बड़े हिस्से को हस्तांतरित कर दिया था और रूपांतरण शुल्क के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान कर दिया था, न्याय के हित में उच्च न्यायालय को मामले में उत्पन्न होने वाले सही विधिक प्रश्नों को तैयार करने के लिए एक और अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है, और विधि के सारवान् प्रश्न के तैयार होने पर मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिए मामले काे वापस उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। [पैरा 13 और 15] [395-ए, बी; 396-ई]

कस्टम कमीशनर (प्रिवेंटिव) बनाम विजय दरशरथ पटेल, [2007] 4 एससीसी 118 और पी. चन्द्रशेखरन एवं अन्य बनाम एस कनकराजन और अन्य, [2007] 5 एसएससी 669, पर आधारित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 सिविल अपील संख्या 5320

बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के आर.एस.ए. क्रमांक 238/2000 में निर्णय/अंतिम आदेश दिनांकित 15.09.2005 से।

अपीलकर्ता की ओर से नागेन्द्रर राय, प्रवीण स्वरूप, अनीस अहमद खान, आर.के. सिंह, शोएब अहमद और रहमत उल्लाह कोतवाल।

प्रतिवादी की ओर से बसवा प्रभू एस पाटिल, वी एन रघुपति, बी. सुब्रह्मण्य प्रसाद, नारायण पी. केंगासुर और चन्द्र शेखर आश्री।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अनुबंध के विशिष्ट पालना के मामले में प्रतिवादी हमारे सामने उस निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट हैं जो 15.09.2005 को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आ.एस.ए. क्रमांक 238/2000 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा और जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई अपील दिनांकित 25-01-2000 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न होता है।

3. प्रतिवादी - अपीलकर्ता और वादी - प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा सर्वे नंबर 112/ए, छिदरी गांव में 4 एकड़, 4 गुंटा भूमि की बिक्री के लिए एक समझौता किया गया था। अनुबंध की विशिष्ट पालना के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा इस आधार पर मुकदमा दायर किया गया था कि अपीलकर्ता ने अनुबंध के अपने हिस्से की पालना नहीं की। उक्त वाद खारिज कर दिया गया। हालाँकि, अन्य बातों के साथ-साथ विचारण न्यायालय द्वारा यह माना गया कि प्रतिवादी नंबर 1 अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार व इच्छूक था। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा इसके विरुद्ध की गई अपील खारिज कर दी गई।

4. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने निर्णय से निर्धारित किया:

(1) प्रतिवादी नंबर 1 ने बिना किसी कारण के शेष रकम 13, 100/- रूपये का भुगतान नहीं किया और, इस प्रकार, अनुबंध के अपने हिस्से की पालना करने में विफल रहा।

(2) प्रतिवादी नंबर 1 अनुबंध के अपने हिस्से की पालना करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक नहीं रहा था और किसी भी तरह रूपांतरण जुर्माना और माप शुल्क के संबंध में प्रतिवादी पर दायित्व स्थानांतरित करना चाहता था।

(3) विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वादी - प्रतिवादी नंबर 1 अनुबंध के अपने हिस्से की पालना करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक था सही नहीं था।

(4) वादी - प्रतिवादी नंबर 1 स्वच्छ हाथों से अदालत में नहीं आया था और, इस कारण वह अनुबंध की विशिष्ट पालना के विवेकाधीन अधिकार का हकदार नहीं था।

5. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर किए जाने पर निम्नलिखित विधि के सारवान् प्रश्न निर्धारित किये गये।

"(1) क्या दोनों अदालतों में विशिष्ट पालना से इनकार करके गलती की है यद्यपि प्रतिवादी पूरी प्रतिफल राशि और विकास शुल्क के रूप में 8,000/- रूपये प्राप्त कर चुके हैं?

(2) क्या अपीलीय अदालत का वादी को दोषी ठहराना उचित है कि वह कभी भी अनुबंध के अपने हिस्से की पालना के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था?

(3) क्या निम्न न्यायालयों ने अग्रिम राशि को वापस करने का निर्देश देकर कोई त्रुटि नहीं की है?"

6. उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री के लिए समझौते में दी गई शर्तों और अभिलेख पर लाए गए अन्य साक्ष्यों पर विचार करते हुए राय दी:

(1) रूपांतरण व्यय वहन करना प्रतिवादी के लिये था। माना कि जब राशि रु. 94,000/- और विषम भुगतान किया गया, वह वादी-प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए बाध्य था।

(2) प्रथम अपीलीय न्यायालय समझौते के खण्डों की उचित परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने में विफल रहा।

(3) न्यायालय द्वारा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 22 में निहित प्रावधानों को लागू कर यांत्रिक तरीके से अग्रिम राशि वापस करने का निर्देश दिया गया।

7. प्रतिवादी नंबर 1 की यह दलील कि वह चार गुंटा भूमि को छोडने के लिए तैयार और इच्छुक है, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी कमी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना-अपीलार्थी ने कहा:

"15. उपरोक्त कारणों से, यह माना जाना चाहिए कि नीचे के दोनों न्यायालयों से प्रदशर् पी.1 की सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने में और विशिष्ट पालना को खारिज करने में गलती हुई है। इसलिए, सारवान् प्रश्न संख्या 1 अपीलकर्ता के पक्ष में है और इसके अलावा निचली अदालत का निष्कर्ष कि वादी अपने अनुबंध के हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था इस आधार के साथ और इस प्रकार ही इसे उलट दिया जाना चाहिए और साथ ही दूसरा विधि का सारवान् प्रश्न भी अपीलकर्ता के पक्ष में होना चाहिए। जहां तक विधि के तीसरे सारवान् प्रश्न का संबंध है, यदि निचली अदालतों ने कठिनाई के तथ्य पर विचार किया है और उस स्थिति में यदि निचली अदालतों ने विशिष्ट पालना के लिए आदेश दिया होगा तो विशिष्ट पालना के लिए आदेश देने के बजाय धन वापस करने का आदेश विकृत होगा। तदनुसार, यह आवश्यक रूप से अपीलकर्ता के पक्ष में माना जाता है।"

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री नागेन्द्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किये गये विधि का सारवान् प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता (संहिता) की धारा 100 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। आगे यह

आग्रह किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यात्मक निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 100 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

9. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान श्री बसवा प्रभु एस. पाटिल ने मामले में शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 काे बिक्री के समझौते के अनुसार कब्ज़े में रखा गया था।हालाँकि, प्रश्न यह उठा कि जब भूमि के उपयोग का रूपांतरण होने पर भूमि के रूपांतरण का जुमार्ना कौन अदा करेगा। उपर्युक्त स्थिति में, समझौते के खण्ड 3 की व्याख्या मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने पर विचार के लिए उठी, अर्थात, प्रतिवादी नंबर 1 ने केवल रुपये 86, 100/- की कुल राशि में से 73,000/- रुपये की राशि का भुगतान ही नहीं किया बल्कि इसके अलावा रुपये 21,431.55 और 35.00 रुपये रूपांतरण जुर्माना और माप शुल्क के रूप में योगदान राशि को भी जमा किया।

10. विधि का एक सारवान् प्रश्न आमतौर पर विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्ष से उत्पन्न होगा। संहिता की धारा 100 की परिभाषा के अनुसार, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निस्संदेह सीमित है।

11. यह प्रश्न कि क्या वादी स्वयं अनुबंध के अपने हिस्से की पालना करने के लिए तैयार और इच्छुक था, विधि का एक सारवान् प्रश्न विधि के एक सारवान् प्रश्न को जन्म नहीं दे सकता है। माना जाता है कि कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये तथ्यों के निष्कर्ष पर भरोसा करते हुए या उनके आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

12. हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि असुसंगत तथ्य पर विचार करने व सुसंगत तथ्य पर विचार ना करना विधि एक सारवार प्रश्न को उठाता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये तथ्य के निष्कर्ष को उलटने से भी कानून पर एक बडा सवाल खडा कर सकता है।

विद्याधर बनाम माणिकराव और अन्य में, [1999] 3 *एससीसी* 573, इस न्यायालय ने निर्णित किया:

> "23. विचारण न्यायालय के साथ-साथ निचली अपीलीय अदालत द्वारा भी दर्ज किये गये तथ्यों के निष्कर्षों को धारा 100 सीपीसी के तहत दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से परेशान नहीं किया जा सकता था, जब तक की यह नहीं दिखाया गया कि निष्कर्ष विकृत थे, बिना किसी सबूत के या अभिलेख पर मौजूद सबूतों के आधार पर, कोई भी उचित व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था।" [ईश्वर भाई सी पटेल उर्फ बच्चू भाई पटेल बनाम हरिहर बेहरा और अन्य, [1999] 3 एससीसी 457]

13. आमतौर पर, हम उच्च न्यायालय संहिता की धारा 100 के तहत विधि के सारवान् प्रश्नों को तैयार करने में विफलता पर अपील की अनुमति दे देते है, परंतु हम महसूस करते हैं कि क्योंकि वादी के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 पहले ही प्रतिफल के एक बड़े हिस्से को अदा कर चुका था और रूपांतरण शुल्क के रूप में बड़ी राशि का भुगतान उसके द्वारा किया जा चुका था, न्याय के हित में उच्च न्यायलय को इस मामले में उत्पन्न होने वाले विधि के सारवान् प्रश्नों को तैयार करने के लिए एक और अवसर दिया जाना चाहिए।

14. हालाँकि, हम संहिता की धारा 100 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कुछ निर्णयों को देख सकते हैं।

कस्टम कमीशनर (प्रिवेंटिव) बनाम विजय दरशरथ पटेल, [2007] 4 एससीसी 118, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

> "22. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि इस संबंध में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार सीमित है। हालाँकि, क्या यह विधि का सारवान् प्रश्न होगा, यह अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगा।
>
> 23. इसके अलावा, हालांकि, तथ्य की खोज में हस्तक्षेप किया जा सकता है जब वह विकृत हो, लेकिन, यह भी सच है कि नीचे की अदालतों में पूर्ववर्ती परिस्थितियों के महत्व को नजरअंदाज कर दिया है और निर्णय को अप्रासंगिक मामलों से प्रभावित होने दिया है, वहां उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार करना न्यायसंगत होगा और अपने स्वयं का स्वतंत्र निष्कर्ष देना उचित होगा। (मदन लाल बनाम गोपी देखें)
>
> 24. उच्च न्यायालय को यह राय देने का भी अधिकार होगा कि कानून का प्रश्न इसके विचार के लिए तब उत्पन्न होगा जब सामग्री और सुसंगत तथ्यों को अनदेखा किया गया हो और कानूनी सिद्धांतों को साक्ष्य की साराहना करने में लागू नहीं किया गया हो। असुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी निर्णय पर पहुंचना भी विधि के सारवान् प्रश्न को उत्पन्न करेगा। हालाँकि, यह भी हो सकता है कि केवल तथ्यों के एक ही समूह पर उच्च न्यायालय एक अलग

दृष्टिकोण रखे। [कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बनाम स्वास्क्रितक वूलेन्स (पी) लिमिटेड और मेट्रोआर्क लिमिटेड बनाम सीसीई देखें।]

25. ऐसे मामले में भी जहां साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा गया हो, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की शक्ति होगी। (डब्ल्यू.बी. इलेक्ट्रिसिटी रेग्यूलेट्री कमीशन बनाम सीईएससी लिमिटेड और कस्टमर ऑफ कस्टम्स बनाम ब्यूरो वेरिटास भी देखें।)

26. दत्ता साइकिल स्टोर्स बनाम गीता देवी सुल्तानिया (एससीसी पृष्ठ 587, पैरा 4) में इस न्यायालय ने कहा:

"4. प्रश्नगत दो महीनों का किराया प्रतिवादियों द्वारा विधिवत भुगतान किया गया था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, और इस तरह की तथ्य के निष्कर्ष के साथ, यह न्यायालय सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करता है, खासकर तब जब नीचे की सभी अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन जहां तथ्यों का निष्कर्ष बिना किसी सबूत पर आधारित या सबूतों की समग्रता के विपरीत और उस तर्कसंगत निष्कर्ष के विपरीत है, जिस पर सबूत की स्थिति को उचित रूप से ले जाना चाहिए तो यह न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करेगा।"

[पी. चन्द्रशेखरन और अन्य बनाम एस. कनकराजन और अन्य, [2007] 5 एससीसी 669] देखें।]

15. इसलिए, हम आक्षेपित निर्णय को रद्द कर देते हैं और विधि के सारवान् प्रश्न के निर्माण हेतु मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज देते हैं। अपील स्वीकार की जाती है। कोई खर्चा नहीं।

एस.के.एस. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कंचन सिंह राजावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।